न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 104/2023

गुरजीत सिहं उम्र 29 वर्ष पुत्र लाभ सिहं जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं. 11, गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. लाभ सिंह पुत्र बलवंत सिहं जाति बाजीगर साकिन चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—::प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता —— प्रार्थी
2. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 26/11/24

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री महेन्द्र सेन द्वारा अनतर्गत धारा 212 आरटीए एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से है — यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना व ठोस आधार है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है इस कारण प्रार्थी का हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से पैतृक सम्पति मे बतौर सहदायिक जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के दादा बलवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 व 2 है। यह कि अप्रार्थीगण स. 1 के नाम संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 13 एम. डब्ल्यू.एम के खाता सं. 40/42 के प.न. 109/368 (24) के किला नं. 16/1/228, 16/2/.025, 17, 18/2/.020, 23/.063 24/228, 25/1/.228, 25/2/.025 .. 110/368 (23) के किला नं. 1/2/227, 2, 9, 10/2/227, 11/2/227, 12 की कुल 2.510 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै. मु. खाला कृषि भूमि में अप्रार्थीगण स. 1 का 1/6 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसकी फोटो प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अप्रार्थीगण सं. 1 जो प्रार्थी का पिता है के नाम कुल 0.419 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै. मु. खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थी के दादा की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 को हक व हिस्सा अनुसार प्राप्त हुई थी, अप्रार्थी स. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित अ[illegible] के नाम कुल 0.419 हैक्ट.कृषि भूमि मय गैर मु. खाला संयुक्त हिन्दू [illegible] कारण प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 प्रत्येक ब.हि.ब हक व हिस्सा [illegible] प्रार्थी का नाम नही होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ विवाद बना रहता है, ऐसी स्थिति में वा[illegible] अप्रार्थी सं. 1 के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भू[illegible] में अपने हक व हिस्सा [illegible]सार प्रार्थी 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषणा व हिस्सा के हिसाब से है प्राप्त करने का अधिकारी है, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है, लेकिन अप्रार्थी सं. 1, प्रार्थी से रंजिश रखता है और इसी कारण अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि मे से प्रार्थी का पैतृक सम्पत्ति मे से हक मारने की गर्ज से उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित करने के लिए तत्पर है यदि अप्रार्थी स. 1 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में पैतृक सम्पति को बैय कर देता है तो प्रार्थी को अपरिमेय व अपूर्णीय क्षति होगी तथा न पूरा होने वाला नुकसान होगा, प्रथम दृष्टया मामला, व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, इन अत्यावश्यक व तत्कालिक परस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इसी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषेद्व रहे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला बाद दफा 4 प्रार्थना पत्र मे वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 13 एम.डब्ल्यू.एम. के खाता सं. 40/42 के प.न. 109/368 (24) के किला नं. 16/1/228, 16/2/.025, 17, 18/2/.020, 23/.063 24/228, 25/1/.228, 25/2/.025 .. 110/368 (23) के किला नं. 1/2/227, 2, 9, 10/2/227, 11/2/227, 12 की कुल 2.510 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गै. मु. खाला कृषि भूमि अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिश्ता रिपोर्ट एक पक्षीय बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन व बाद रिकार्ड अवलोकन प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला होने पर अप्राथीगण को दिनांक 08.06.23 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि चक 13 एम.डब्ल्यू.एम के खाता सं. 40/42 के प.न. 109/368 (24) के किला नं. 16/1/228, 16/2/.025, 17, 18/2/.020, 23/.063 24/.228, 25/1/.228, 25/2/.025 व प.नं. 110/368 (23) के किला नं. 1/2/.227, 2, 9, 10/2/.227, 11/2/.227, 12 की कुल 2.510 हैक्ट. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला कृषि भूमि अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कथन कि उक्त अनवान का प्रार्थना श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है। जिसमें प्रार्थी की कामयाबी का कोई आधार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से प्रार्थी द्वारा वर्णित किये गये है कतई अविधिक व मनगढ़त असत्य अंकि[illegible] जो अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कथन व मिन अप्रार्थी के पिता बलवन्तसिंह का सजरा खानदान अविधिक [illegible] हितो के वशीभूत होकर अधुरा पेश किया है तो विशिष्ट रूप से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा ज[illegible]झकर बलवन्तसिंह के सभी वारिसों जिसमें बलवन्तसिंह की यानि कि मिन अप्रार्थी की माता बलवीरकौर पुत्रीया क्रमश तेजकौर, परमजीतकौर, तेजकौर, बलविन्द्रकौर, रजिन्दरकौर, माया देवी को पक्षकार नही दर्शाया है। इसी प्रकार मिन अप्रार्थी के पूर्ण वारिसों को वंशावली में नही दर्शाया है। मिन अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गुरजीतसिंह के अलावा रमनदीपकौर व अमनदीपकौर पुत्रीया व निर्मलसिंह पुत्र है, जिनको वंशावली में नही दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबुझकर अपना हिस्सा ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिन अप्रार्थी के दो पुत्रीया व एक पुत्र को हिस्से के रूप में व वारिस के रूप मे नही दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा सभी वारिसों को छुपाकर प्रार्थना पत्र अविधिक व कुटील तरीके से प्रस्तुत किया है जो विशिष्ट रूप से अस्वीकार है व प्रार्थना पत्र में सभी वारिसों को जानबुझकर अविधिक तरीके से छुपाया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 4 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित चक 13 एमडब्ल्यूएम के खाता स. 40/42 की कुल 2.510 हैक्ट. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला में मिन अप्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कृषि भूमि पूर्व में मिन अप्रार्थी के पिता बलवन्तसिंह के नाम दर्ज थी, बलवन्तसिंह का सयुक्त खाते की इस कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। पिता बलवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 26.10.2018 को व माता बलवीरकौर का देहान्त दिनांक 07. 08.2010 को होने के पश्चात् मिन अप्रार्थी के पिता बलवन्तसिंह के सभी जीवीत वारिसों का प्रत्येक का बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में 6/8 हिस्सा वाजिब निहित था। मिन अप्रार्थी की बहने तेजकौर, परमजीतकौर, तेजकौर, बलविन्द्रकौर, रजिन्दरकौर, माया देवी द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी द्वारा मिन अप्रार्थी व भाई बुटासिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर अपना हक त्याग कर दिया, हक त्याग करने के पश्चात् पिता बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में मिन अप्रार्थी का 1/6 हिस्सा व भाई बुटासिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। पिता बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में मिन अप्रार्थी का मात्र 6/8 हिस्सा हक त्याग से पूर्व था । इस 6/8 हिस्सा मे प्रार्थी व पुत्रीया रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व पुत्र निर्मलसिंह का मिन अप्रार्थी के साथ 1/5 हिस्सा निहित है। मिन अप्रार्थी के अपने पिता बलवन्तसिंह से 1/3 हिस्सा में 6/8 हिस्सा में से ही 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार 6/8 हिस्सा मे मिन अप्रार्थी, प्रार्थी, पुत्रीया रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व पुत्र निर्मलसिंह का प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स.5 में वर्णित कथन अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थी के नाम सयुक्त खाता 1/6 हिस्सा में 1/2 हिस्सा नही बनता न ही वह प्राप्त करने का अधिकारी है व न ही 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हवाला प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकिंत नही किया है इस प्रकार वह किसी प्रकार का खाता विभाजन करवाने व राजस्व रिकार्ड में अकंन करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। प्रार्थी समस्त तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थी के वारिसों व पिता बलवन्तसिंह के वारिसों को छुपाकर प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे। यह [illegible] पूर्व में मिन अप्रार्थी के पिता बलवन्तसिंह के नाम दर्ज थी, बलवन्तसिंह का सयुक्त खाते [illegible] इस कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। पिता बलवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 26.10. 2018 को व माता बलवीरकौर का देहान्त दिनांक 07.08.2010 को होने के पश्चात् मिन अप्रार्थी के पिता बलवन्तसिंह के सभी जीवीत वारिसों का प्रत्येक का बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में 6/8 हिस्सा वाजिब निहित था। मिन अप्रार्थी की बहने तेजकौर, परमजीतकौर, तेजकौर, बलविन्द्रकौर, रजिन्दरकौर, माया देवी द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा जरिये पजीकृत दस्तबरदारी द्वारा मिन अप्रार्थी व भाई बुटासिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर अपना हक त्याग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिया हक त्याग करने के पश्चात् पिता बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में मिन अप्रार्थी का 1/6 हिस्सा व भाई बुटासिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। पिता बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में मिन अप्रार्थी का मात्र 6/8 हिस्सा हक त्याग से पूर्व था। इस 6/8 हिस्सा में प्रार्थी व पुत्रीया रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व पुत्र निर्मलसिंह का मिन अप्रार्थी के साथ 1/5 हिस्सा निहित है। मिन अप्रार्थी के अपने पिता बलवन्तसिंह से 1/3 हिस्सा में 6/8 शहिस्सा में से ही 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार 6/8 हिस्सा में मिन अप्रार्थी, प्रार्थी, पुत्रीया रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व पुत्र निर्मलसिंह का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है। 6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 6 में वर्णित कथन कतई अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पिता बलवन्तसिंह के 1/3 हिस्सा में मिन अप्रार्थी का 6/8 हिस्सा में से ही प्रार्थी 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है बाकि हिस्सा मिन अप्रार्थी को बहनों से जरिये शहक त्याग प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी व मिन अप्रार्थी के अन्य वारिसों का हिस्सा नही है। प्रार्थना पत्र अविधिक तरीके से प्रस्तुत किया है। मिन अप्रार्थी अपने नाम दर्ज अपना स्वय का हिस्सा व बहिनो से प्राप्त हिस्से को प्राप्त कर कुल 1/6 हिस्से का विधिक अधि भकारी हैं। जिसमें प्रार्थी का मात्र 6/8 हिस्सा में ही हक बनता है। बाकि हिस्से में प्रार्थी का कही हक व हिस्सा निहित नही है। मिन अप्रार्थी कृषि भूमि को कही भी रहन बैय व अन्तरित नही कर रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार की किसी प्रकार अप्रमेय क्षति नही हो रही है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अपने हिस्से से ज्यादा का प्रस्तुत होने सभी वारिसों को पक्षकार के रूप मे संयोजित नही करने व अविधिक तरीके से प्रस्तुत होने के कारण तग व परेशान करने के लिये प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

अधिवक्त प्रार्थी द्वारा जबाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है कि यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है। असत्य व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। मिन प्रार्थी को अपने दादा के समस्त वारिसान को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार दर्शाने की आवश्यकता नही है क्योकि मिन प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी लाभसिंह के नाम वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि मिन प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में मिन प्रार्थी की पडदादी सरजीतकौर पत्नी अजमेरसिंह व जगसीरसिंह–बलवन्तसिंह पिसरान अजमेरसिंह के नाम मुताबिक विक्रमी सम्वत् 2068–71 राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक 1/3–1/3 बहिस्सा दर्ज थी तथा मिन पडदादी के नाम वर्तमान में भी 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें भी प्रार्थी के हित निहित है और प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए पृथक से पडदादी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपने हक व हिस्सा अनुसार घोषणा करवाने हेतू स्वतंत्र हैं। प्रार्थी द्वारा अपने दादा बलवन्तसिंह की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज कृ[illegible] हक व हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा अनुसार घोषणा प्राप्त करने का विधिक [illegible]। उक्त दफा में अप्रार्थी स.1 द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि [illegible] स.1 की बहनो व अन्य पुत्रीया रमनदीपकौर–अमनदीपकौर [illegible] वशावली में नही दर्शाया है। इस सम्बंध में यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है [illegible] अप्रार्थी स. 1 का मिन प्रार्थी ही केवल मात्र जायज व कानूनी वारिस है और अप्रार्थी स. 1 ने मिन प्रार्थी व उसकी माता का अर्सा पूर्व से परित्याग कर रखा है तथा अप्रार्थी स.1 द्वारा कभी भी मिन प्रार्थी व उसकी माता की देखभाल नही की गई और ना ही भरण–पोषण किया गया था तथा अप्रार्थी ने मिन प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की माता का परित्याग करके विधि विरुद्ध तरीके से विवाहित होने के पश्चात भी अन्य महिला से अपने पूर्व से सम्बन्ध स्थापित कर रखे है। जिनसे अप्रार्थी स.1 के दो पुत्रीया रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व एक पुत्र निर्मलसिंह है। जिनका प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। क्योंकि अप्रार्थी स.1 व मिन प्रार्थी की माता का मुताबिक हिन्दू विधि व सामाजिक रिति रिवाज अनुसार विवाह हुआ था तथा कुछ वर्षो पश्चात अप्रार्थी स.1 द्वारा मिन प्रार्थी व उसकी माता को विधि विरुद्ध तरीके से घर से निकाल दिया था और अपने कर्तव्या का निर्वहन नही किया गया था। अप्रार्थी स.1 विवाहित होने के पश्चात भी बिना सम्बन्ध विच्छेद करवाये अन्य महिला से सम्बन्ध स्थापित किए गये। जिनसे रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व निर्मलसिंह पैदा हुए। इस कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त दफा में मिथ्या व असत्य कथन किये है जिनसे मिन प्रार्थी का कोई सारोकार नही है। मिन प्रार्थी व उसकी माता अप्रार्थी स.1 द्वारा किये गये कुटिल कृत्य के विरुद्ध पृथक से विधिक कार्यविधिक करने हेतु स्वतंत्र है।

यह कि जवाब प्रार्थना की दफा 4 में यह उल्लेख किया है कि मिन अप्रार्थी के अपने पिता करनैलसिंह का प्राप्त 1/3 हिस्सा में से 6/8 हिस्सा में प्रार्थी व मिन अप्रार्थी व उसके अन्य पुत्र पुत्रीया क्रमश रमनदीपकौर, अमनदीपकौर व निर्मलसिंह सम्मिलित करते हुए प्रत्येक 1/5 हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस सम्बंध में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी स. 1 का मिन प्रार्थी की माता की मुताबिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार विवाह हुआ था तथा उसके पश्चात अप्रार्थी स.1 का मिन प्रार्थी केवल मात्र विधिक उत्तराधिकारी है तथा अप्रार्थी स.1 द्वारा प्रार्थी की माता के जीवनकाल मे बिना सम्बंध–विच्छेद करवाये अन्य महिला से सम्बन्ध स्थापित कर लिए जो विधि विरुद्ध है तथा उनके विधिक वारिसान नही है तथा ना ही रमनदीप आदि को प्रार्थी की पेतृक सम्पति में विधिक अधिकार प्राप्त है। इस कारण अप्रार्थी स.1 को प्राप्त पेतृक कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 प्रत्येक 1/2 1/2 हक व हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे अप्रार्थी स.1 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में धारा 53 आरटीए का हवाला नही दिया गया है तथा इस प्रकार प्रार्थी खाता विभाजन करवाने व राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने का अधिकारी नही है। इस सम्बंध में यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मिन प्रार्थी द्वारा खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड मे करवाने का माननीय न्यायाजय में अनुतोष प्रदान करने का निवेदन नही किया है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र खाता विभाजन करवाने हेतू अभिवचन किए है जिसके सम्बंध मे प्रार्थी के विधिक अधिकार सुरक्षित है।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 6 मे अप्रार्थी स.1 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मिन अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को कही भी रहन बैय व अन्तरित नही कर रहा है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिहार्य क्षति कारित नही हो रही है। इस सम्बंध में यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी स.1 हस्तगत प्रकरण मे वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अकंन का नाजायज फायदा उठाने के उदेश्य से व प्रार्थी को अपने अधिकारो से महरूम करने के उदेश्य से कृषि भूमि को [illegible] करने की फिराक में है। इस कारण प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जो विधि सम्मत है क्योंकि यदि अप्रार्थी स.1 [illegible] ता है तो प्रार्थी के विधिकोधिकारो पर कुठाराघात होता और [illegible] बढोतरी होगी। इस कारा प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया माना न्याय[illegible] में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे स्टेट जवाब प्रस्तुत है मुताबिक जवाब स्टेट राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे। बहस उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दृष्टांत प्रस्तुत किये गए है धारा 5 हिन्दू विधि विवाह अधिनियम 1955, धारा 16(3), हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 17 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं डीएनजे एससी पेज न. 545 पैरा संख्या 19, 25,26,27 प्रस्तुत किये गए एवं बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी सं.1 हस्तगत प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन का नाजायज फायदा उठाने के उद्देश्य से व प्रार्थी को अपने अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने की फिराक में है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए आरआरडी 1997 पेज न. 108 से 110, आरआरडी 2017 पेज संख्या 286 से 289 तक, डीएनजे 2011 (1) एससी पेज संख्या 383 से 390 तक व डीएनजे 2019(1) एससी पेज संख्या 249 से 256 तक प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अपने हिस्से से ज्यादा का प्रस्तुत होने सभी वारिसों को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं करने व अविधिक तरीके से प्रस्तुत होने के कारण तंग व परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

-:आदेश:-

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी परिवार का सहदायिकी सदस्य है। प्रश्नगत रकबा में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल दावे में तय होना है। हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल दावे में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष का नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य अन्य विवाद नहीं बढ़ने में सहायक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 अन्तरिम स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन स्थगन दिनांक 08.06.2023 को जारी स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 26/11/24 मय इजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.26 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested